

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2086/2010/पाली

मैसर्स मुकेश चन्द नवीनचन्द,
सुमेरपुर, पाली।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, सिरोही।

....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/03/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 5/ आरएसटी/सुमेरपुर/2008-09 निर्णय दिनांक 26.05.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।
2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, सिरोही (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 28.06.1996 को वाहन संख्या आरपीए-1415 को 170 बोरी कपासिया जाते हुए चैक किया गया। बिल व बिल्टी के साथ फार्म एसटी-18ए संलग्न नहीं था। कपासियां एक Oil Seed है जिसमें फर्म आवश्यक था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसके अभाव में परिवहनित माल कपासिया 170 बोरी पर धारा 78(5) Of RST Act के तहत शास्ति रूपये 15000/- आदेश दिनांक 28.06.96 आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की गयी। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया।

विभाग द्वारा विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.03.98 से असंतुष्ट होकर माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर ने दिनांक 15.02.2002 को अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार कर दी। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर की गयी जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.09.2007 को विभाग की रिवीजन स्वीकार कर प्रकरण को अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 26.05.2010 को अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थी अपीलीय अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2


3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को कायम रखने में भूल की है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कपासिया एक अधिसूचित वस्तु नहीं है। अतः फार्म एसटी-18ए की आवश्यकता नहीं थी। अतः शास्ति को अपास्त किया जावे।
5. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने कथन किया कि कपासिया एक Oil Seed है जो कि अधिसूचित वस्तु है। अतः फार्म एसटी-18ए की आवश्यकता थी। अतः आरोपित शास्ति को उचित बताया व अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। सभी निर्णयों में फार्म एसटी-18ए की आवश्यकता मानी गयी है। कपासिया एक Oil Seed का प्रकार है। जिसे अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थी द्वारा मौके पर एसटी-18ए फार्म पेश नहीं किया गया था और ना ही नोटिस की पालना में पेश किया गया। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उसकी पालना में अपनी गलती स्वीकार कर शास्ति देने की पेशकश की गयी थी। जिसे ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह शास्ति आरोपित की गयी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्ड बनाम स्टेट (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"For the aforesaid reasons, we hold that Section 78(5) of the RST Act 1994 (Section 22A(7) of the RST Act, 1954) is the section enacted to provide remedy for loss of revenue and it is not enacted to punish the offender for committing economic offence and, therefore, mensrea is not an essential ingredient for contravention of Section 78(2) of the RST Act, 1994. That, the breach of Section 78(2) would attract the levy of penalty under Section 78(5) in cases where the goods in movement have traveled with an incomplete Form No. 18A/18C. We accordingly uphold the judgment of the High Court of Rajasthan in Sales Tax Revision No. 1023/2002 dated 14-10-2003 (which is annexed as page No. 1 of the appeal paper book in Civil Appeal No. 5197 of 2005 filed by M/s Guljag Industries V/s Commercial Taxes Officer).

अतः आरोपित शास्ति उचित है एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.05.2010 में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


7-3-14
(अमर सिंह)
सदस्य